6)

II/निग0/रीवा/2018/01493

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

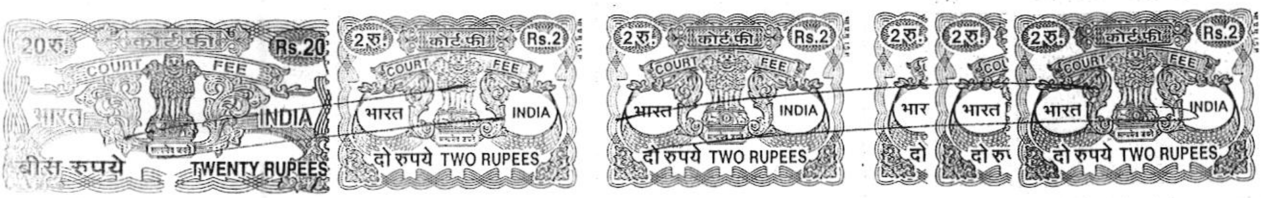

1:- मोतीलाल
2:- हीरालाल
3:- प्रेमलाल
4:- आछेलाल

चारों पिता स्व0श्री ओछिलाल कोमरी निवासी ग्राम - नाउआकला थाना व तहसील - हनुमना जिला रीवा म0प्र0।

अधि0 श्री शोभनाथ [illegible] द्वारा पेश 28.2.18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0

आवेदक/ निगरानीकर्तागण

बनाम

रामचरित तनय स्व0श्री राधेश्याम लोधरी निवासी ग्राम- नाउआकला थाना व तहसील हनुमना , जिला रीवा म0प्र0।

गैरनिगरानीकर्ता/अना0

निगरानी विरुद्ध अंतरिम आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के प्र0क्र0 147/ए6ए/2016x017 आदेश दिनांक 12. 02. 2012

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं कि :-

01 :- यह कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना , जिला रीवा म0प्र0 में निगरानीकर्ता गण /अपीलाण्टगण ने अधीनस्थ तहसीलदार तहसील हनुमना के न्याया0 प्र0क्र0 139/ए6ए/2015x016 आदेश दिनांक 23. 01. 2017 से परिवेदित होने से अधीनस्थ प्रथम अपीलीय अनुविभागीय न्याया0 तहसील हनुमना , जिला रीवा म0प्र0 में अपील प्रस्तुत

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो / निगरानी / रीवा / 2018 / भूरा / 1493

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रमणि यादव उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 147 / अ–6–अ / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.2.12 (सही दिनांक 12.2.18) के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि यह निगरानी आवेदक को स्थगन प्राप्त नहीं होने के कारण इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आदेश दिनांक 12.2.12 (सही दिनांक 12.2.18) में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–52 के आवेदन पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रकरण में अभिलेख प्राप्त हो चुका है इसलिये स्थगन किया जाना संभव नहीं है। जब प्रकरण में अभिलेख प्राप्त हो चुका है और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियात किया गया है इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में स्थगन की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्यों कि आवेदन द्वारा ऐसा उनके समक्ष कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्थगन दिया जाना आवश्यक हो। अतः अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला	

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/रीवा/2018/भूरा/1493

रीवा के पारित आदेश दिनांक 12.2.12 (सही दिनांक 12.2.18) उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 147/अ–6–अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.2.12 (सही दिनांक 12.2.18) उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य